निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 326/2022 (रिव्यु प्रार्थना पत्र)

1. रमेश चन्द शर्मा पुत्र श्री प्रभाती लाल शर्मा
2. श्रीमती संतोष देवी शर्मा पत्नी श्री रमेश चन्द शर्मा

   निवासी 249, रूकमणी नगर 6–7, विजयपुरा रोड, पुरानी चुंगी, आगरा रोड, जयपुर ।

प्रार्थीगण

बनाम

मैसर्स रेलीगेयर हाऊसिंग डवलपमेन्ट फाईनेन्स कार्पोरेशन लि. पता पी–14, 45/90 पी ब्लॉक, फस्ट फ्लोर, कनाट प्लेस, न्यू देहली ।

अप्रार्थी

पुनर्विलोकन (रिव्यु) प्रार्थना पत्र बाबत प्रकरण संख्या 202/2021 (किस्म धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट 2002) व उनवानी मैसर्स रेलीगेयर हाऊसिंग डवलपमेन्ट फाईनेन्स कार्पोरेशन बनाम रमेश चन्द शर्मा में पारित आदेश दिनांक 02.05.2022.

उपस्थित:–

1. श्री प्रकाश चन्द भारती अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से ।
2. रवि कुमार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

निर्णय दिनांक 06.02.2023.

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 202/2021 (किस्म धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट 2002) व उनवानी मैसर्स रेलीगेयर हाऊसिंग डवलपमेन्ट फाईनेन्स कार्पोरेशन बनाम रमेश चन्द शर्मा में पारित आदेश दिनांक 02.05.2022. को रिव्यु किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।
2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से वकील श्री रवि कुमार शर्मा उपस्थित है।
3. बहस उभय पक्ष अधिवक्ता की सुनी गई।
4. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त आदेश माननीय न्यायालय में प्रार्थीगण को जबाव पेश करने व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही पारित किया गया है । प्रार्थी ऋणी के पास अप्रार्थी कम्पनी का एक पत्र दिनांक 24.09.2017 को प्राप्त हुआ। जिसके अनुसार रेलीगेयर हाउसिंग डवलपमेन्ट फाईनेन्स कार्पोरेशन द्वारा एडलवाईज एसट रिकन्स्ट्रक्शन कम्पनी लि. (EARC) के पक्ष में 20.09.2021 को एसाईन कर खाता हस्तान्तरण कर समस्त अधिकार ट्रान्सफर कर दियें। इस प्रकार

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

अप्रार्थी कम्पनी द्वारा ऋण खाता दूसरी कम्पनी को ट्रान्सफर कर दिये जाने के कारण प्रार्थी को अपनी किश्त अदा करने में व्यवधान रहा । मैसर्स रेलीगेयर हाऊसिंग डवलपमेन्ट फाईनेन्स कार्पोरेशन लि॰ द्वारा दिनांक 20.09.2021 के अनुसार में ट्रान्सफर किये जाने के कारण अप्रार्थी कम्पनी को उक्त ऋण की वसूली बात किसी प्रकार की कार्यवाही करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। इसके बावजूद अप्रार्थी कम्पनी द्वारा तथ्यों को छुपाते हुये, माननीय न्यायालय से प्रार्थी के विरूद्व आलौच्य आदेश दिनांक 02.05.2022 को प्राप्त कर लिया । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फमाया जाकर आलौच्य आदेश 02.05.2022 को निरस्त करने के आदेश फरमावें ।

5. अप्रार्थी अधिवक्ता ने भी प्रार्थी द्वारा अंकित तथ्यों को सही होना स्वीकार कर आदेश दिनांक 02.05.2022 को रिव्यु किये जान का अनुराधे किया है ।

6. प्रार्थी बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

7. प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा मैसर्स रेलीगेयर हाऊसिंग डवलपमेन्ट फाईनेन्स कार्पोरेशन बनाम रमेश चन्द शर्मा में धारा 14 के तहत दिनांक 05.02.2022 को आदेश प्राप्त किया गया है जबकि प्रार्थी का ऋण खाता जरिये अनुबन्ध दिनांक 20.09.2022 को एडलवाईज एसेट रिकन्सट्रक्शन कम्पनी लि॰ को स्थानान्तरित कर दिया गया है। इसलिए अप्रार्थी बैंक द्वारा ऋण खाता स्थानान्तरित कर दिये जाने के पश्चात प्रार्थी के ऋण खाते पर किसी प्रकार का हक व अधिकार नहीं रखता है। अप्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता भी रिव्यु स्वीकार किये जाने पर सहमत है। फलस्वरूप रिव्यु प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ।

8. इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 202/2021 (किस्म धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट 2002) ब उनवानी मैसर्स रेलीगेयर हाऊसिंग डवलपमेन्ट फाईनेन्स कार्पोरेशन बनाम रमेश चद शर्मा में पारित आदेश दिनांक 02.05.2022 को अपास्त किया जाता है।

9. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो ।

10. निर्णय आज दिनांक **06.02.2023** को सरे इजलास सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर